ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर, हि॰ प्र॰ – 174031 के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे:–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

पंचायत सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री नंद लाल	01.04.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मनोज कुमार	01.04.2023 से 14.05.2023
2	श्री जीत राम	15.05.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता देवी	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों में भारी अन्तर	0.29
2	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	27.22
3	7.1	पंचायत गृहकर वसूली हेतु शेष	0.15
4	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	9.58
5	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.30
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक भुगतान	0.14
7	9.2	खननन सामग्री से Voids की कटौती न करना	0.12
8	9.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.35
9	9.4	उचित बिल प्राप्त किये बिना भुगतान	0.38
10	9.5	निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करना	3.73
11	9.6	निर्माण सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टयॉं न करना	5.35
12	9.7	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय	1.24

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 26.10.2024 से 29.10.2024 तक ग्राम पंचायत रोहल के कार्यालय में किया गया। आय—व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2023—24	12/2023	06/2023

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण

को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4800/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 524/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थितिः–**

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं• 514 दिनांक 26.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (6) रोकड़ बहियों अर्थात स्वंय स्त्रोत (offline), अनुदान(प्लानिंग) (offline), स्वच्छ भारत मिशन (offline), हरियाली (offline), 15वाँ वित्तायोग(online) व मनरेगा (online) का रख–रखाव किया गया था :–

(क) स्वयं स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक की स्वंय स्त्रोत की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023–2024	1116501.50	979800.00	2096301.50	765879.00	1330422.50

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023–2024	3108763.58	3724099.90	6832863.48	4110862.29	2722001.19

(ग) संकलित वित्तीय स्थितिः– ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023–2024	4225265.08	4703899.90	8929164.98	4876741.29	4052423.69

(4.2) दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	खाता विवरण			अन्तशेष (₹)
	शीर्ष का नाम	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	
1	खाता 'क' (स्वयं स्त्रोत)	HPSCB Jhandtta	11110105012	554487.00
2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	HPSCB Jhandtta	11110105080	784560.50
3	हरियाली (अंशदान)	HPSCB Jhandtta	11110113241	41779.00
4	स्वयं सहायता समूह (SHG)	HPSCB Jhandtta	11110113242	59250.00
5	14वाँ वित्तायोग	HPSCB Jhandtta	11110113543	1010.00
6	15वाँ वित्तायोग	HPSCB Jhandtta	11110113241	2639438.19
	मनरेगा			**0**
			योग	**4080524.69**
			हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत)	507.00
			कुल योग (1+2)	**4081031.69**

(4.3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार :–

1	स्वंय स्त्रोतः– दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार खाता **क** का अन्तिम शेष	₹1330422.50
2	अनुदानः– दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार खाता **ख** का अन्तिम शेष	₹2722001.19
3	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार खाता **क व ख** का कुल अन्तिम शेष	**₹4052423.69**
4	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत के बैंक खातों/ पैरा 4(2) के अनुसार खाता **क व ख** का कुल अन्तिम शेष	₹4080524.69
5	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्वंय स्त्रोत व अनुदान)	₹507.00

6	योग (4+5)	**₹4081031.69**
7	अन्तर (3-6)	**₹28608.00**

(4.4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹0.29 लाख का भारी अन्तर :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष ₹28608/— राशि का अन्तर पाया गया :—

क्र0सं0	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक वचत खातों का अन्तशेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	1330422.50	1339047.50	8625
2	हरियाली (अंशदान)	100328.00	101129.00	701.00
3	14वॉं वित्तायोग	1003	1010	7.00
4	15वॉं वित्तायोग	2620670.19	2639438.19	18768.00
	योग			**28101**
	(+) हस्तगत राशि			**507**
	कुल योग			**28608**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 519/2024 दिनांक 28.10.2024 के प्रत्युत्तर मे उक्त अन्तर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैक खातों से राशि ₹28608/— के अन्तर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन अनुसार अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. **सावधिक निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वयं स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्राह किया गया, जिसकी अनुपालना के प्रत्युत्तर मे पत्र संख्या 05 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वंय स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. **अनुदानः–**

6.1 **अनुदान राशि ₹27.22 लाख का उपयोग न करना।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट–1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹**27,22,001.19/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों1 के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायत पीछे है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 28.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्राह किया गया, जिसकी अनुपालना के प्रत्युत्तर मे पत्र संख्या 05 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया

कि इस विषय में कार्रवाई करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये । कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दी गई अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान राशि स्वीकृत की है, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 28.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगें।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार है। परन्तु पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 28.10.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया गया है। यह एक अनुचित प्रकिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य/ कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश/स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्वः—

7.1 पंचायत द्वारा ₹0.15 लाख का गृहकर वसूली हेतु शेषः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है जबकि नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 28.10.2024 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट–2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹**14,740/– की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	प्रारम्भिक शेष(₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	माँग(₹)	कुल योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023–24	0	738	20	14760	14760	20	14740

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 की वसूली न करना :—

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200/– प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय– समय पर वसूल करने के उपरान्त हि॰ प्र॰ विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट–3** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹**800/– की वसूली नहीं की गई थी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 521/2024 दिनांक 28.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली करके उक्त राशि के जमा व इन्द्राज बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना।

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि॰ प्र॰ विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से राशि ₹3675/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 522/2024 दिनांक 28.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹3675/- को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. व्ययः-

8.1 ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹9.58 लाख का अनियिमित भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत दंड शुल्क के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब से रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने के उपरान्त ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त

ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को सलंग्न **परिशिष्ट–4** अनुसार ₹9,58,001.70 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस अनियमितता में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि "उक्त वर्णित राशि ₹9,58,001.70 से रॉयल्टी की कटौती बिलों से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फॉर्म लिया जायेगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायेगी "। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को खनन सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना अपेक्षित था।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध ₹958001.70 के अनियमित भुगतान को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 स्त्रोत पर ₹0.30 लाख की जी.एस.टी. की कटौती न करनाः–

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति/फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹2,50,000/– से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2% (1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी.एस. टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–5** अनुसार राशि ₹14,86,972 (जी.एस.टी.के अतिरिक्त) भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹29,739 की 2% जी.एस.टी. टी. डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 524/2024 दिनांक 29.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा राशि ₹14,86,972 की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार ₹29,739 GST,TDS की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा

इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

9 मनरेगा शीर्ष से सम्बन्धित अनियमितताएँ:–

9.1 मनरेगा शीर्ष के कार्यों में निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0. 14 लाख राशि का अधिक भुगतान करना:–

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान करवाये गये निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री रेत के रूप में अधिक जारी करने के कारण निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹13765 का अधिक भुगतान किया गया।

(i) **Name of Work:– C/o Retaining wall Dev raj s/o Rama ram Village Dokdu:-**			
Sanction Amount :- ₹50000/-			
Expenditure :- ₹49818/–			
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा** (m3)	**रेत** (M3)
23260 (41)	CC 1:5:10	20.17	9.48 (20.17 x.47)
योग			**9.48**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (56) द्वारा जारी खपत मात्रा			**12.25**
अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री			**2.77**
क्रय दर (₹)			**1545/-** (per m3)
अधिक भुगतान (1545x2.77) (₹)			**4279.65**
कुल अधिक भुगतान (₹)			**4280/-**

(ii) **Name of Work:– C/o Retaining wall Suresh kumar s/o Sukh Ram, village Mukdana:-**			
Sanction Amount :- ₹50000/-			
Expenditure :- ₹49818/–			
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (m3)	रेत (M3)
23260 (41)	CC 1:5:10	17.28	8.12 (17.28 x.47)
योग			**8.12**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (56) द्वारा जारी खपत मात्रा			**12.25**
अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री			**4.13**
क्रय दर (₹)			**1545/-** (per m3)
अधिक भुगतान (1545x4.13) (₹)			**6380**
कुल अधिक भुगतान (₹)			**6380/-**

(iii) **Name of Work:– C/o Retaining wall Dev raj s/o Rama ram Village Dokdu:-**			
Sanction Amount :- ₹50000/-			
Expenditure :- ₹49818/–			
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (m3)	रेत (M3)
23260 (41)	CC 1:4:8	7.02	3.29 (7.02 x.47)
	CC 1:1:5:3	18.80	7.99 (18.80 x.425)
योग			**11.28**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (57) द्वारा जारी खपत मात्रा			**13.29**

अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री	**2.01**
क्रय दर (₹)	**1545/-** (per m3)
अधिक भुगतान (1545x2.01) (₹)	**3105.45**
कुल अधिक भुगतान (₹)	**3105/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 532, 533 व 534/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में सामग्री के रूप में **₹**13765 के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः उक्त अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापना उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करनी/करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

9.2 निर्माण सामग्री से ₹0.12 लाख की रिक्तियों (Voids) की कटौती न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5: व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5: की दर से रिकित्यों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2023 व 06/2023 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को संलग्न **(परिशिष्ट–6)** अनुसार राशि ₹12056.50 का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 525/2024 दिनांक 29.10.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (Stone) की खरीद पर ₹12056.50 की रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई हैं, लेकिन इसके भुगतान की वसूली कर इस जमा करवा दिया जायेगा। अतः अंकेक्षण द्वारा दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियों (Voids) की कटौती की अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 ग्राम पंचायत द्वारा ₹0.35 लाख राशि की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करनाः—

सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PCH-HC(10)FFC-MISC-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण

सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्ड़ार नियन्त्रण के Rate Contact अथवा GeM Portel से की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्त्रोतों से अनुपलब्धता सुनिश्चित किय बिना ही ₹34680 की निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया जोकि अनियमित है।

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(₹)
1	15 वाँ वितायोग	18	09/2023	Paver Blocks	34680

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 527/2024 दिनांक 29.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि सामग्री Paver blocks का क्रय GeM Portel नियमों की जानकारी के अभाव के कारण निविदाओं को आमंत्रित करके किया गया था, परन्तु भविष्य में निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स का क्रय नियमों को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

अतः इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही Paver blocks का क्रय करना सुनिश्चित करें।

9.4 उचित बिल प्राप्त किये बिना ₹0.38 लाख का भुगतान करनाः—

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय उपयोग व ढुलाई के व्यय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा **<u>परिशिष्ट—7</u>** में दिये गये विवरणानुसार ₹37861/— का भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47 (2) की अवहेलना है।

ग्राम पंचायत द्वारा बिना उचित बिलों से किया गया भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 530/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना उचित बिलों से ₹37861/— की अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जायें तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.5 ग्राम पंचायत द्वारा ₹3.73 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–8** में दिये गये विवरणानुसार ₹3,73,036/– के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे प्रस्ताव प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 531/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना स्वतः आपत्तिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9.6 ₹5.35 लाख की सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 73 तक पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री के लेखांकन तथा भंडारण से सम्बन्धित प्रावधान वर्णित है।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–9** में दिये गये विवरणानुसार ₹534867 की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 529/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में ₹534867 के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जाएगा" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.7 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.24 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान **परिशिष्ट–10** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,24,364/– की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 528/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित ₹1,24,364/– की औपचारिकताएँ पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मंग व संग्रहण रजिस्टर	10	33
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	बजट प्राक्कलन	11	37

6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अभिलेख	30	89
8	निर्माण कार्यों का तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों के लेखें	---	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101
11	मस्ट्रोल स्टॉक/निर्गम रजिस्टर	---	102
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	अनुदान रजिस्टर	8	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 515/2024 दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी बार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 26.10.2024 के क्रम संख्या 6 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्षः–** लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/प्र०

691-695

23 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(12)72/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का०/प्र०

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

Annaxure 1 पैरा संख्या 4/6.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झंडूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2023-24	1116501.50	979800.00	2096301.50	765879.00	**1330422.50**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2023-24	3108763.58	3724099.90	6832863.48	4110862.29	**2722001.19**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2023-24	4225265.08	4703899.90	8929164.98	4876741.29	**4052423.69**

Diff	**-28608.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

(परिशिष्ट 1) (पैरा संख्या 4 में वर्णित)

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झंडूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अनुदान (प्लानिंग) (Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	1116501.50	979800.00	2096301.50	765879.00	**1330422.50**

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	0.00	477441.00	477441.00	477441.00	**0.00**

हरियाली अंशदान (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	96889.00	3439.00	100328.00	0.00	**100328.00**

14वें वित्तायोग (Offline)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	0.00	1003.00	1003.00	0.00	**1003.00**

15वें वित्तायोग (Offline)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	3011874.58	674516.00	3686390.58	1065720.39	**2620670.19**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2023-24	0.00	2567700.90	2567700.90	2567700.90	**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
खण्ड झण्डूता
जि. बिलासपुर (हि.प्र.)

(परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में वर्णित)

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	HPSCB Jhanduta	11110105012	554487.00
	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB Jhanduta	11110105080	784560.50
	हरियाली (अंशदान)	HPSCB Jhanduta	11110113241	41779.00
	SHG	HPSCB Jhanduta	11110113242	59250.00
	14वां वित्तायोग	HPSCB Jhanduta	11110113543	1010.00
	15वां वित्तायोग	HPSCB Jhanduta	11110114587	2639438.19
2		**योग**		**4080524.69**
		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत)		507.00
		योग (1+2)		**4081031.69**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहुन
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि प्र.

(परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में वर्णित)

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-		
1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1330422.50
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	2722001.19
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**4052423.69**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष	4080524.69
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	507.00
6)	योग (4+5)	**4081031.69**
7)	**अन्तर (3-6)**	**28608.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर							
दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2023-24	0	738	20	14760	14760	20	14740

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झंडूता
जि. बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure 3 पैरा संख्या 7.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2023 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशि	बकाया राशी
1	अनिल कुमार	17/02/2023	01/04/2023	124295	400	200	200
2	राहुल गौतम	27/03/2023	11/04/2023	124296	200	200	0
3	चेतन शर्मा	16/02/2023	14/04/2023	124297	400	200	200
4	नरेश कुमार	23/06/2023	07/07/2023	-	0	200	200
5	मुनीश कुमार	02/07/2023	20/07/2023	124299	50	50	0
6	सुनील कुमार	07/05/2023	01/08/2023	124403	400	400	0
7	भीम चंद	17/07/2023	08/08/2023	124404	200	200	0
8	श्याम लाल	18/09/2023	30/10/2023	124405	400	400	0
9	मुनीश कुमार	19/11/2023	18/12/2023	124407	25	25	0
10	विशाल ठाकुर	13/12/2023	13/12/2023	124408	200	200	0
11	दीपक कुमार	21/01/2024	09/02/2024	124409	200	200	0
12	अक्षय कुमार	05/03/2024	15/03/2024	124410	200	200	0
13	सुरेश कुमार	14/02/2024	15/03/2024	124411	200	200	0
14	संजीव कुमार	27/02/2024	18/03/2024	124412	200	200	0
15	गौरव चंदेल	08/03/2024	19/03/2024	124413	200	200	0
16	सोहन लाल	04/01/2024	19/03/2024	124414	400	200	200
	Total				3675	3275	800

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure "4" पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गयी निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फार्म प्राप्त किये भुगतान करने बारे (01.04.2023 से 31 .03.2024)

Sr no.	Scheme	Name of work	Bill/Voucher no.	Name of Vandor	Material Items	Quantity(CUM)	Total
1	15th finance	Nali v rasta nirman Jeora dukan se Guggamandir Jeora	VNO.20 02/07/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	sand	11.95	15392
					Agg	23	28060
2	15th finance	Rasta nirman Bhagat Ram ke ghar se Check Dam ki oar	VNO.23 07/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Boulder	13.02	9767
			Vno.22 05/02/2023	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	3.06	4728
					Agg	5.8	7801
3	15th finance	Rasta repair Prabhu Ram ke ghar se Dam ki oar	Vno.24 07/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	boulder	27.98	20425
			vno. 25 10/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Sand	6.43	9934
					Agg	12.18	16382
4	15th finance PS	gramin pakki sadak Rohal Neri sadak se X Pradhan Bali Ram ke ghar tak	vno.26 07/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	boulder	6.83	4979
			Vno.27 10/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	3.11	4805
					Agg	6.06	8151
5	15th finance ZP	C/o Pulli gramin sadak se gaon gujreda	vno.28 11/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	3.94	6134
					agg	7.52	10114
6	15th finance	Sadak Rajender kumar ke ghar se Rafiya ram ki jamin ki oar	vno.30 11/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	boulder	14.75	10768
			vno.31 11/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	6.73	10398
					Agg	13.11	17633

7	15th finance	c/o pakki sadak Dokru Tower se Mukrana	vno.32 14/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	boulder	19.29	14082
			vno.33 15/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	8.81	13611
					agg	17.15	23067
8	15th Finance	Sarwajanik rasta nir.gp Rohal wno.4 Nahral Road se Bhagat Ram via Ramesh Chand ke ghar ki oar	vno.36 15/02/23	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Boulder	29.62	21623
			vno.37 15/02/23	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	9.13	14106
					Agg	17.54	30591
9	SBM	CSC Shiv Mandir Lehad	Bno.76 01/10/22	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Sand	7.29	11263
					agg	10.05	13517
			Bno.1417 01/10/22	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	boulder	0.661	483
10	SBM	CSC GHS Dokru	Bno.77 01/10/22	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	9.33	14415
					agg	11.4	15333
			Bno.1418 28/09/22	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Boulder	0.435	318
11	SBM	CSC Sidh Baba Bali Mandir Bavdi ke pas	Bno.78 01/10/22	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	8.08	12483
					agg	8.88	11943
			Bno.1420 29/02/22	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Cut Stone	3.146	2297
12	SBM	CSC najdik PS Nand -Nagraon	Bno.75 01/10/22	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	7.97	12314
					agg	10.24	13772
			Bno.1414 28/09/22	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Boulder	0.414	302
13	Nrega	Check Dam Vimla Devi	57	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	22.3	34453.5

			61	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Agg	22.3	29993.5
			63	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Agg	19.92	26792.4
14	Nrega	Check Dam Suresh Kumar s/o Prem Lal	59	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	17.61	27207.45
			60	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Agg	33.34	44842.3
15	Nrega	Check Dam Rajkumar S/o KrishanDyal	56	chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Agg	28.06	37740.7
			55	chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	14.81	22881.45
16	Nrega	Tank Nirman Sarwan Kumar S/o Mansha Ram	45	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	13.57	20965.65
17	Nrega	Tank Nirman Subhash Chand S/o Jagdish Ram	46	chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	8.53	13178.85
18	Nrega	Tank Kartar Singh s/o Ram Singh	47	chandel cons. Main Bazar Jhandutta	SAND	13.29	20533.05
19	Nrega	Tank Thakur Dass s/o Jai Ram	54	chandel cons. Main Bazar Jhandutta	sand	7.89	12190.05
20	Nrega	Pashushala Kusm lata w/o Ravinder	21	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	2.68	4140.6
21	Nrega	Danga Nirman Prem Lal s/o Brahmu	20	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	12.25	18926.25
22	Nrega	Danga nirman Devraj s/o Rama ram	23	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	12.25	18926.25
23	Nrega	Danga nirman Lekh Ram s/o Jaindu Ram	24	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	12.25	18926.25
24	Nrega	Tank nirman Ramesh Chand s/o Manager	27	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	11.75	18153.75
				chandel cons.Main Bazar Jhandutta	agg	15	20175
25	Nrega	Tank Rakesh Kumar s/o Jagdish	44	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	10.45	16222.5
				chandel cons.Main Bazar Jhandutta	agg	17.2	23134
26	Nrega	Danga nirman Suresh Kumar s/o Sukhdev	25	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	12.25	18926

27	Nrega	Danga Narvir Singh	42	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	12.25	18926
28	Nrega	Danga karam chand s/o sunder	38	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	8.53	13178.85
				chandel cons.Main Bazar Jhandutta	agg	4.27	5748.53
29	Nrega	Danga Monika Devi w/o Sadardeen	43	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	8.63	13333.35
					agg	4.15	5581.75
30	Nrega	Danga Raghu Ram s/o Lehnu	40	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	7.29	11263
					agg	5.94	7523
31	Nrega	Danga Kishori Lal s/o Nikku Ram	39	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	sand	7.29	11263
					agg	5.59	7523
32	Nrega	Danga Lekh Ram s/o Kirpu Ram	64	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	agg	3.2	4304
33	Nrega	Danga Vijay Kumar s/o Munshi	65	chandel cons.Main Bazar Jhandutta	agg	4.22	56.75
						TOTAL	**958001.7**

Panchyat Secretary
G.P.------Rohal
TDev. Block Jhandutta
Distt. Bilaspur (H.P.)

(परिशिष्ट "5") (पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित)

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

(GST/TDS) की वसूली ना करने बारे (01/04/2023 से 31.03.2024)

क्रम सं	चयनित माह	फर्म/ व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि	TDS योग्य राशि	जी.एस.टी.(टीडीएस) की कटोतीराशि
1	01/04/2023 to 31/03/2024	Chandel cons. Main Bazar Jhandutta	Sand, Agg	781709.4	2%	15634.188
2	01/04/2023 to 31/03/2024	Rattan Contractor R/o Behran PO& Tehsil Jhandutta	Boulder, Cut Stone,Bricks,Formwork &cement carriage	705262.5	2%	14105.24
			कुल योग (₹)	14,86,971.90		29,739/=

Panchyat Secretary
G.P.------Rohal
TDev. Blo... [illegible]
Distt. Bilaspur (H.P.)

Annaxure "6" पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने बारे (चयनित माह 03/23 और 06/23)

क्रम संख्या	वाउचर/ बिल संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (CFT)	मूल्य दर (CFT)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	1414	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	0.414	730	302.22	12.5	37.78
2	1417	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	0.661	730	482.53	12.5	60.32
3	1418	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	0.435	730	317.55	12.5	39.69
4	1419	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	3.146	730	2296.58	12.5	287.07
5	1406	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	13.38	730	9767.4	12.5	1220.93
6	1407	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	27.98	730	20425.4	12.5	2553.18
7	1408	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	6.82	730	4978.6	12.5	622.33
8	1410	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	14.75	730	10767.5	12.5	1345.94
9	1411	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	19.29	730	14081.7	12.5	1760.21
10	1412	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	15.63	730	11409.9	12.5	1426.24
11	1413	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	Boulder	29.62	730	21622.6	12.5	2702.83
Total						**96451.98**	**12.5**	**12056.50**

प्रभारी सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure "7" पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

विना बिल के किया गया भुगतान (01.04.2023 से 31.03.2024) (चयनित माह 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	office exp GP Rohal	15	stationery	7001.00
2	15thFC	c/o path from bhagat ram house to check dam	19	carriage	21860
3	15thFC	c/o path from karmchand house to bot ghat	41	carriage	9000
Total					37861.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure "8" पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे (01.04.2023 से 31.03.2024)

(चयनित माह 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	C/o road from main road nagraon to surjit rajpal	43650.00
2	GIA (Planning)	C/o link road to GMSchool nand from vill nand	46900.00
3	GIA (Planning)	C/o road dokru to neri	90703.00
4	15thFC	C/o path from bhagat ram house to check dam	45762.00
5	15thFC	C/o path from prabhu ram to check dam	99000.00
6	15thFC	C/opath from karmchand house to botghat	47021.00
Total			**373036.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

32

Annaxure "१" पैरा संख्या १.६ में संदर्भित						
ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर						
सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 06/23)						
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o road from dokdu to neri	68101 05/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	25522.00
2	GIA (Planning)	c/o road from dokdu to neri	68117 07/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	19056.00
3	GIA (Planning)	c/o road toward govt high school ghora to vill ghora	55356 12/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	92480.00
4	GIA (Planning)	office exp GP Rohal	105 02/24	Naresh kumar, gheharwin, jhanduta	stationery	7001.00
5	GIA (Planning)	office exp GP Rohal	109 03/24	Kapil printing press, jhanduta	stationery	11088.00
6	SBM	c/o CSC shiv mandir, vill lehar	76 10/22	chandel construction, jhanduta	sand, aggrigate	24780.00
7	SBM	c/o CSC GHschool Dokru	70 10/22	chandel construction, jhanduta	sand, aggrigate	29748.00
8	SBM	c/o CSC near sidh baba bali mandir bouri	78 10/22	chandel construction, jhanduta	sand, aggrigate	24427.00
9	SBM	c/o CSC near PIS nand	75 10/22	chandel construction, jhanduta	sand, aggrigate	26086.00
10	SBM	c/o CSC GHschool Dokru	03 04/23	M/s SS traders, jhanduta	iron items	25600.00
11	SBM	c/o CSC near sidh baba bali mandir bouri	01 10/22	M/s SS traders, jhanduta	Hardware items	24539.00

12	SBM	c/o CSC near PIS nand	75 10/22	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	bolder, shuttring,carriage	18452.00
13	SBM	c/o CSC shiv mandir, vill lehar	1417 09/22	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	bolder, shuttring,carriage	18239.00
14	SBM	c/o CSC GHschool Dokru	1418 09/22	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	bolder, shuttring,carriage,Bricks	27047.00
15	SBM	c/o CSC near sidh baba bali mandir bouri	1420 09/22	Rattan contractor, vill beharn, jhanduta	bolder, shuttring,carriage,Bricks	18423.00
16	15th FC	c/o path from bhagat ram house to check dam	34227 04/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	10034.00
17	15th FC	c/o path from prabhu ram house towards dam	34232 04/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	20760.00
18	15th FC	c/o road from dokdu tawar towards mukdana	34534 04/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	34029.00
19	15th FC	c/o path from bhagat ram house to check dam	4553 06/23	HPSCS LTD JHANDUTA	CEMENT	42876.00
	15th FC	c/o road from jawara shop to gugaa mandir	01 07/23	GK power teck interprises,vill dokru,jhanduta	paver block	34680.00
Total						**534867.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोहल
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure " 10" पैरा संख्या 9.7 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रोहल, विकास खंड झंडूता, जिला बिलासपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2023 से 31.03.2024) (चयनित माह 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	office exp of GP Rohal	140 04/23	Modern tent house, dokru, jhandutta	tent items	6500.00
2	GIA (Planning)	office exp GP Rohal	105 02/24	Naresh kumar, gheharwin, jhanduta	stationery	7001.00
3	GIA (Planning)	office exp GP Rohal	109 03/24	Kapil printing press, jhanduta	stationery	11088.00
4	GIA (Planning)	office exp of GP Rohal	912,913 12/23	Modern tent house, dokru, jhandutta	tent items	8000.00
5	SBM	c/o CSC GHschool Dokru	03 04/23	M/s SS traders, jhanduta	iron items	25600.00
6	SBM	c/o CSC near sidh baba bali mandir bouri	01 10/22	M/s SS traders, jhanduta	Hardware items	24539.00
7	15th FC	c/o road from jawara shop to gugaa mandir	01 07/23	GK power teck interprises,vill dokru,jhanduta	paver block	34680.00
8	15th FC	c/o convert gujehrnala to manager chand house	191 03/24	ram balding work, dokru, jhanduta	iron items	6956.00
Total						**124364.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रोहल
खंड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)